अध्याय–3

भारत के विकास की यात्रा (2004 से 2019 तक)

डॉ. मनमोहन सिंह (2004 से मई 2014)

भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 मई, 2004 को शपथ ली और 22 मई, 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। डॉ. मनमोहन सिंह विश्व के जाने–माने अर्थशास्त्री हैं। सन् 1982 से 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। जब पी. वी. नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तब राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर उनकी काबिलयत का भरपूर उपयोग किया। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। उन्हें न केवल सन् 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया, वरन् सन् 1993–94 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने जहां आजादी के बाद की सर्वोत्तम जीडीपी दर प्राप्त की वहीं भारत को दुनिया की दूसरी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया. संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (मनरेगा), आधार कार्ड योजना, मध्याह्न भोजन (मीड डे मील) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों से आमजन को लाभान्वित किया. इन्हीं अधिकारों और योजनाओं के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति राजनीतिक लोकतंत्र से बढ़कर आर्थिक और कल्याणकारी लोकतंत्र की ओर ठोस रूप से अग्रसर हुई. इसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का व्यापक स्वप्न महात्मा गांधी, पंडित नेहरु और डॉ बी. आर. अम्बेडकर ने देखा था.

डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए प्रमुख कार्यों में से कतिपय का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है.

1. सूचना का अधिकार (लोकतंत्र में पारदर्शिता)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, 15 जून, 2005 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के समय अधिनियमित किया गया तथा इसके कुछ प्रावधान उसी तिथि से प्रभाव में आ गए। 12 अक्टूबर, 2005 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर यह कानून पूरे देश में

लागू हो गया है। अरुणा रॉय (Aruna Roy) ने भारत में सूचना का अधिकार आन्दोलन का सफल नेतृत्त्व किया है। इस आंदोलन का प्रांरभ राजस्थान राज्य स्थित भीम तहसील के एक छोटे से गांव देवडूंगरी से हुआ।

सूचना का अधिकार : अर्थ–

सूचना का अधिकार (Right to Information : RTI) के तहत् भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में होने वाले कार्यों की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठित करने की व्यवस्था है। सूचना के अधिकार से निष्क्रिय एवं सुस्त हुए तंत्र में नवशक्ति का संचार होगा, काम करने की प्रक्रिया में सुधार होगा, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आयेगी तथा उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकेगा और कामकाज में होने वाली अनियमितताओं को पकड़ा जा सकेगा। एच.डी. शौरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतंत्रता का तात्पर्य है– "सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता", जिसमें कागजात की प्रामाणिक प्रतियाँ लेना, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, कम्प्यूटरों या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक यंत्र में रखी सामग्री– दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि अन्तर्निहित हैं। इसमें लोक अधिकारी के निर्णय, कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड आदि शामिल हैं।

सूचना का अधिकार : उपयोगिता–

जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गयी सरकारों को सुचारू संचालित एवं नियन्त्रित करने के लिए एक न्यूनतम शर्त है– जानने का अधिकार। भारत में अब यह अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित है। लोकतंत्र तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में यह अधिकार अपने औचित्य एवं उपयोगिता को सिद्ध करता है। सूचना के अधिकार की उपयोगिता का परीक्षण निम्नांकित विविध आयामों से स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) लोकतंत्र का आधार स्तम्भ–

सूचना का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध एवं संरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है। पारदर्शी एवं जवाबदेह लोकतंत्र की उपलब्धताओं पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता हेतु देश की जनता की जागरूकता को बनाये रखने के लिए सूचना का प्रवाह आवश्यक है।

(2) सुशासन की प्राप्ति–

सुशासन का मूल मन्तव्य एक ऐसे सुशासन से है जो सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेह हो। यह न केवल विधि के शासन की स्थापना करता है वरन् सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है। सुशासन की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब किसी देश के नागरिकों को जानने का हक प्राप्त हो।

(3) भ्रष्टाचार में कमी–

सूचना के सुचारू प्रवाह से अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में कमी आती है। समय–समय पर जो आँकड़े जारी किये जाते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि भारत के विकास को अवरूद्ध करने वाला प्रमुख तत्त्व भ्रष्टाचार ही है। ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा वर्ष 2018 हेतु जारी 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' (Corruption Perception Index) में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 78वाँ है। इस सूची में सर्वोच्च स्थान पाने वाले देश में सबसे

कम भ्रष्टाचार माना जाता है। भ्रष्टाचार के दैत्य से मुक्ति हेतु सूचना का अधिकार सशक्त हथियार का कार्य कर सकता है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सूचना का अधिकार भय का काम करेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा।

(4) पंचायती राज को मजबूती–

देश में पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1993–94 में पंचायती राज को सवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। पंचायती राज की सफलता बहुत कुछ सूचना के अधिकार पर निर्भर करती है। स्थानीय स्वशासन को सूचना के अधिकार के माध्यम से ही फलित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर पंचायती राज के किसी भी स्तर की संस्था में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर सकता है,

पत्रावली की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है। 'मनरेगा' में भी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। सूचना के अधिकार से निस्सन्देह पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन में गति आयेगी और गाँव के विकास में बदलाव आयेगा।

(5) मानवाधिकारों को संरक्षण–

मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार की स्थिति मूलभूत मानव अधिकार की है, क्योंकि इसका व्यक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्ध रहा है। नागरिकों के अस्तित्व से यह मुद्दा परोक्ष रूप से जुड़ा है। जिन्दा रहने के लिए सूचना जानना जरूरी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–

सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार को जनता से और जनता को सरकार से जोड़ता है।

नागरिक को अपने जीवन को प्रभावित करने वाली नीति या निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 'सूचना का अधिकार' है। इसमें सभी स्तर की सरकारों, पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले निजी संस्थानों तथा गैर सरकारी उपक्रमों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। लोकतंत्र में प्रमुख मुद्दा है, 'लोकतांत्रिक नीतियों में सार्थक भागीदारी' और जब तक हमारे पास सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम नीतियों में सार्थक भागीदारी नहीं निभा सकेंगे। सूचना के अधिकार से सूचना की निष्क्रियता और अव्यवस्था को रोका जा सकता है।

सूचना का अधिकार 'ई–शासन' (e-Governance) की अवधारणा पर बल देता है। 'ई–शासन' सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है। 'ई–शासन' पारदर्शी शासन के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सूचनाएँ सहज रूप में इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। इस प्रकार सूचना के अधिकार की महत्ता स्पष्ट हो जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का क्षेत्र–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का

अधिकार दिया गया है। सूचना प्राप्तकर्त्ता कौन है या उसका उद्देश्य क्या है, यह नहीं पूछा जायेगा। सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी हो सकता है। सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

सूचना, कानून में परिभाषित लोक प्राधिकरणों से मांगी जा सकती है। लोक प्राधिकरण का दायरा व्यापक रखा गया है। सूचना किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री हो सकती है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, दस्तावेज की माइक्रोफिल्म या प्रतिलिपि, पाण्डुलिपि, पत्रावली, परिपत्र, आदेश, प्रतिवेदन, कागजात, ई–मेल, प्रेस रिलीज, इलेक्ट्रिक सांख्यिकी सामग्री आदि शामिल हैं।

लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्य–

- लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदक की यथासम्भव मदद करेगा।
- लोक सूचना अधिकारी असमर्थ, निःशक्तजन, नेत्रहीन, दिव्यांग आदि व्यक्तियों को आवेदन लिखने में सहायता करेगा।
- लोक सूचना अधिकार सूचना आवेदनों का यथासमय निपटारा करेगा।
- लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गयी है, उसी प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाये।

सूचना प्राप्त करने की समय सीमा–

लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करने पर आवेदन के 30 दिनों के अन्दर तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करने पर 35 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे में देय होगी। जब सूचना तीसरे व्यक्ति से सम्बन्धित हो और पक्षकार को नोटिस देना पड़े तो समय सीमा 40 दिन होगी।

यदि माँगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष (आवेदक एवं सूचना प्रदाता से भिन्न) से सम्बन्धित हो और यदि यह सूचना उसकी व्यक्तिगत हो या गोपनीयता से सम्बन्धित हो, तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को नोटिस देकर यह पूछेगा कि वह यह जानकारी प्रकट करे अथवा नहीं। तृतीय पक्ष सूचना नहीं प्रदान करने का मत व्यक्त करता हो, किन्तु लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकट करना लोकहित में उचित मानता हो, तो वह सूचना दे सकता है।

आवेदन का तरीका–

आवेदन व्यक्तिगत रूप से लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाया जा सकता है या उसे डाक, फैक्स, ई–मेल आदि द्वारा भी भेजा सकता है। डाक से भेजने पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा। व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कराने पर उसकी पावती प्राप्त होगी। पावती पर आवेदन को प्राप्त करने की तिथि, समय, स्थान और प्राप्त करने वाले के नाम का उल्लेख होना चाहिए।

अदेय सूचनाएँ–

निम्नलिखित सूचनाएँ अदेय होंगी–

- ऐसी सूचना, जिससे देश की एकता–अखण्डता प्रभावित हो।
- ऐसी सूचना, जिससे दूसरे राष्ट्र से सम्बन्ध प्रभावित हों।
- देश या राज्य की सुरक्षा, रणनीति, विज्ञान तथा आर्थिक मामलों से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी।
- विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ।

- मंत्रिमण्डल से सम्बन्धित दस्तावेज।
- ऐसी सूचना, जिससे संसद या विधान मण्डल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो।
- ऐसी सूचना, जिससे न्यायालय या ट्रिब्यूनल की अवमानना होती हो।
- ऐसी सूचना, जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो।
- ऐसी सूचना, जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे।
- ऐसी सूचना, जिससे अपराध को बढ़ावा मिले।
- ऐसी सूचना, जो अन्वेषण में बाधक हो।
- ऐसी सूचना, जो सरकार, व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो, नहीं दी जायेंगी।

दण्ड का प्रावधान–

यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं करता है अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना देता है, तो उस पर सूचना आयोग अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

सूचना का अधिकार : चुनौतियाँ एवं समाधान–

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 को लागू करने के बाद जिन व्यावहारिक और अन्तर्विरोधी प्रवृत्तियों की सम्भावनाओं को महसूस किया जा रहा है, उसने अनेक ऐसे मुद्दों को जन्म दिया है जिन पर व्यापक विचार किया जाना आवश्यक है। सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अवरोधों को हटाने के विकल्पों की खोज से कानून को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर उपाय किये जा सकते हैं।

- नागरिकों में जागरूकता एवं जानकारी का अभाव है। अतः इसके लिए वृत्तचित्र, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम, सूचना मेले, साहित्य का वितरण, विज्ञापन आदि को अपनाकर लोगों में चेतना लाई जा सकती है।
- सूचना के अधिकार कानून का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू 17 श्रेणियों की सूचना बिना नागरिकों की माँग के स्वतः प्रकाशित करना है, परन्तु यह अपेक्षा औपचारिक इच्छा मात्र रह गयी है। इन श्रेणियों की सूचनाएँ प्रकाशित करने के दायित्व को सार्वजनिक संस्थाओं ने ऐच्छिक दायित्व मानकर प्रकाशन को इच्छा पर निर्भर मान लिया है, जबकि अधिनियम–4 के तहत् सूचनाओं का प्रकटीकरण अनिवार्य है।
- सूचना के अधिकार को जीवन्त बनाने हेतु समाज, सरकार, संस्थाओं की क्षमताओं का निर्माण करना होगा। नागरिकों को आगे लाना होगा। सर्वहित के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। सूचना के अधिकार कानून की सफलता के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इसे शासन व्यवस्था के एक सामान्य आवश्यक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाए।

राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1975 ई.) मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद–19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढाकर सूचना के अधिकार को इसमें शामिल कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का विवरण जनता को प्रदान करने के बारे में टिप्पणी की थी। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने, उत्तरदायित्व को बढावा देने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। एक जागरूक और जानकार नागरिक सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है।

सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को कुछ कानूनी सीमाओं (अदेय सूचनाएँ) के साथ सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। जनता का यह 'जानने का अधिकार' ही सूचना का अधिकार है।

2. भोजन का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। 2005 में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना आई और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि 'भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है।'

भोजन का अधिकार प्रत्यक्षतः भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत 'भोजन का अधिकार' सम्मान, नियोजन आदि के अधिकार में अंतर्निहित है। राज्यों को ऐसी नीति बनाने का संविधान द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के समुचित साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। संविधान का अनुच्छेद–47 नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। 1986 की 'विकास के अधिकार संबंधी घोषणा' में भी यह स्पष्ट किया है कि विकास के लिए राज्य सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को बुनियादी संसाधन जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि के मामले में अवसर सुलभ हों। संविधान के भाग 3 एवं 4 की व्याख्या और वे अंतरराष्ट्रीय घोषणाएँ, जिन्हें भारत ने अनुमोदित किया है, में भोजन के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) द्वारा 2001 में दायर की गई जनहित याचिका का जिक्र करना आवश्यक है। इसमें भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया। इसमें कहा गया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत), मगर केंद्र और राज्य सरकारें इसका उल्लंघन कर रही हैं। इस याचिका में चार

कार्रवाईयों का निवेदन किया गया है– (क) सूखा प्रभावित गाँवों में सभी को रोजगार कार्य उपलब्ध हो। (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की हकदारी को बढ़ाया जाए। (ग) सभी परिवारों को अनुदानित खाद्यान्न दिया जाए। (घ) इन सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

बाद में इस याचिका के विषय क्षेत्र को बड़ा किया गया तथा इसमें भोजन के अधिकार के अलावा खाद्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, काम का अधिकार, भूख से मौत तथा पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल किए गए। दोनों पक्षों की ओर से करीब 400 हलफनामे दायर किए गए और 44 अंतरिम आदेश पारित किए गए। ये आदेश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पालना में लिए गए। प्रतिनियुक्त आयुक्तों को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की विस्तृत शक्तियाँ दी गईं तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिनियुक्त आयुक्तों को पूरा सहयोग दें।

अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें कुपोषण या भूख से मौत रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। भूख से मौत पर मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम अंतरिम आदेश में आठ योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता कार्यक्रम– दोपहर का भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने आठों लाभों को वैधानिक हकदारी में बदल दिया है। उदाहरणार्थ यदि किसी के पास अंत्योदय कार्ड है, पर उसे पूरा कोटा (35 किलो प्रतिमाह) सरकारी दर (3 रु. किलो चावल, 2 रु. किलो गेहूँ) नहीं मिलता हो तो वह अपने अधिकार के लिए कोर्ट में दावा कर सकते हैं। दोपहर का भोजन पकाकर दिया जाए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण तथा निरीक्षण का अधिकार दिया।

3. जनकल्याणकारी योजनाएँ–

सरकार ने सब्सिडी को गलत खातों में जाने से बचाने के लिए 'डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम' की शुरूआत की। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी सहायता और लाभ पहुंचाया। गाँवों में लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) व शहरी लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) जैसी कल्याणकारी योजनाओं को चलाया।

4. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ''दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांशी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम'' कहा जाता है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2014 में मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण कहा है।''

मनरेगा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संसाधनों व सम्पत्तियों को बनाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को सशक्त बनाने, गावों से शहरो की और प्रवास को रोकने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम सौ दिनों का आश्वस्त मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

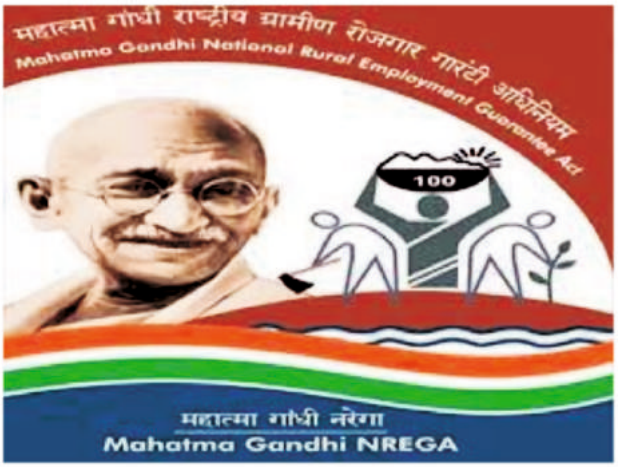

1 क. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गाँधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी सन्दर्भ को 'महात्मा गाँधी नरेगा' कहा जाएगा।

6(1ख) स्कीम का केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों (Works) पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम (Order of Precedence) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थातः—

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय (Water Harvesting), जिसके अन्तर्गत कन्टूर खाइयाँ, कन्टूर बन्ध, गोलश्म चेक, गेबियन संरचनाएँ, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बाँध, स्टॉप बाँध और झरनों का विकास भी है;

(ii) सूखा रोधी (Anti Drought), जिसके अन्तर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी हैं;

(iii) सिंचाई नहरें, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बन्धन और भूमि विकास का उपबन्ध :

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अन्तर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण, नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिये विप्लव जल नालियों का सन्निर्माण;

(viii) सभी मौसमों में पहुँच को सुलभ करने के लिये ग्रामीण संयोजकता, जिसके अन्तर्गत गाँव के भीतर, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़के भी हैं;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण;

(x) एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, लिक्विड बायो—मेन्योर जैसे कृषि सम्बन्धी संकर्म;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन सम्पूरक जैसे पशुधन सम्बन्धी संकर्म;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य सम्बन्धी संकर्म;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी संकर्म;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयाँ, आँगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी संकर्म;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाये।,

7(1ग) पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह सम्पदा पर अनुज्ञात किये जाएँगे।

1घ पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थातः—

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह सम्पदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे।

2 टिकाऊ आस्तियों (Durable Assets) का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिये आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होगा।

3 स्कीम के अधीन किये गए कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थातः—

(क) प्रत्येक कार्य के लिये एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी;

(ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किये जाएँगे जिनके पास जॉब कार्ड है और जिन्होंने कार्य की माँग की है;

(ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा (Lisence) नहीं दी जाएगी;

(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाये;

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी;

(च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे;

(छ) समय–समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएँगे;

(ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं, सप्ताह में कम–से–कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिये साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम–से–कम पाँच कर्मकारों का चयन किया जाएगा;

(झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी;

(ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा;

(ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराए जाएँगे;

(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए;

(ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर माँग किये जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुँच रखने के लिये योग्य होगा; और

(ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मॉनीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्याँकन रिपोर्ट की जाँच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक सम्परीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी;

5 राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी।

7 राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से सम्बद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार सन्दत्त (Paid) की जाएगी।

8 (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिये मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि 15 (विश्राम के एक घंटे सहित) नौ घंटे के लिये काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके,

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अन्तराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किये जाएँगे कि वे किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों,

8क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किये गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिये आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो।

9 कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अन्तर्गत कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, 15 (प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर, कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

10 कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिये आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिये स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे।

11 स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

12 यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं।

13 प्रत्येक स्कीम में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबन्ध होंगे–

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के सम्बन्ध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अन्त में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और सन्दत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के सम्प्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अन्तर्गत नियोजन के उपबन्धों से सम्बन्धित जानकारी, प्राप्त निधियाँ और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सम्बन्ध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाये तथा निःशुल्क डाउनलोड की जाये, उपलब्ध कराई जाएगी :

मनरेगा में महिलाओं के लिए रोजगार

14. किसी स्कीम के अधीन किये जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिये और साथ यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्य के पूरा किये जाने के लिये सन्दत्त मजदूरी, किये गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिये उपबन्ध किये जाएँगे।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित तथ्यों और आँकड़ों तथा उपलब्धियों

सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति जनता की माँग पर और ऐसी फीस के सन्दाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध कराई जाएगी।

16. स्कीम से सम्बन्धित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे सम्बद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी माँग किये जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किये जाने के पश्चात ऐसी प्रतियाँ या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का सन्दाय करने के पश्चात, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये, निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।

मनरेगा का महत्त्व–

2 फरवरी, 2006 से शुरू 'नरेगा' कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2008 को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। जिस प्रकार सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, उसी प्रकार रोजगार के अधिकार का कानून 'मनरेगा' बना। इस अधिनियम के बाद चूंकि गांवों में काम मिलने लगा, जिससे गांवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन कम हुआ है। गांवों में मजदूरी में वृद्धि का वातावरण तैयार हुआ। अब महिला श्रम का उपयोग बढ़ने से विकास में उनका योगदान बढ़ा है और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से स्वयं उनका भी सशक्तिकरण हुआ है। बैंकों में खाते खोलने व उनके मार्फत लेन–देन को बढ़ावा मिलने से एक नई चेतना का उदय हुआ अर्थात् सामाजिक परिवर्तन आया है। नव परिसम्पतियों के निर्माण से ग्रामीण जनता को लाभ हुआ। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का उचित निराकरण यथोचित समय पर कर लिया जाए तो इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परिसम्पतियों का निर्माण होगा वरन् इसे नियोजित विकास से प्रत्यक्षतया जोड़ा भी जा सकेगा।

जब पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी उस समय मनरेगा कार्यक्रम के कारण भारत में अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर नहीं पड़ा। यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है।

5. भारतीय विशिष्ट पहचान– आधार

इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की कोर टीम के साथ की गई। अधिसूचना के अधीन 3 पद (महानिदेशक, उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक) मुख्यालय हेतु एवं विशिष्ट पहचान आयुक्तों के 35 पद प्रत्येक राज्यों हेतु स्वीकृत किये गये हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि बंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुम्बई एवं रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें। एक तकनीकी केन्द्र बंगलुरु में स्थापित किया गया।

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) सभी निवासियों के लिये जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई. डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया।

ई–आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है, नामांकन निःशुल्क है।

श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत आधार कार्ड वितरित करते हुए

आधार कार्ड के लाभ–

- आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है।
- आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाईल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर–सरकारी सेवाओं की सुविधाएँ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
- किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य।
- सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एव ठोस प्रयास।
- एक क्रम–रहित स्वचालित तरीके से उत्पन्न संख्या, जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।

आधार कार्ड की विशेषता–

अद्वितीयता :

इसे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डी–डुप्लीकेशन की प्रक्रिया से हासिल किया गया है। डी–डुप्लीकेशन प्रक्रिया में यह जाँचने के लिए कि क्या व्यक्ति पहले से ही डेटा बेस में है अथवा नहीं; नामांकन प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई निवासी की जनसांख्यिकीय/बॉयोमेट्रिक जानकारी को यूआईडीएआई के डेटाबेस के रिकॉर्ड के साथ तुलना की जाती है। निवासी के आधार हेतु केवल एक बार ही नामांकन की आवश्यकता है और डी–डुप्लीकेशन के बाद केवल एक आधार ही सृजन किया जाएगा। यदि निवासी एक से अधिक बार नामांकन करवाता है तो उत्तरवर्ती नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे।

पोर्टेबिलिटी (सुवाह्यता) :

आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी (सुवाह्यता) प्रदान करता है क्योंकि यह कहीं भी ऑनलाईन प्रमाणीकृत किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों भारतीय एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी केंद्र आदि में प्रवास करते हैं।

रेण्डम संख्या :

आधार संख्या रेण्डम नम्बर है जिसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं है। नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल इत्यादि जैसे विवरण को संगृहीत नहीं किया जाता है।

स्केलेबल प्रौद्योगिकी संरचना :

यूआईडी संरचना अनावृत और स्केलेबल है। निवासी के डेटा को केन्द्रीकृत रूप में संगृहीत किया जाता है और देश में कहीं से भी उसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जा सकता है। एक दिन में 10 करोड़ प्रमाणीकरण करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का गठन किया गया है।

ओपन स्रोत प्रौद्योगिकियाँ :

ओपन सोर्स वास्तुकला, विशिष्ट कम्प्यूटर हार्डवेयर, विशिष्ट भंडारण, विशिष्ट ओएस, विशिष्ट डेटाबेस विक्रेता या किसी विशिष्ट विक्रेता प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन खुला स्रोत या खुली प्रौद्योगिकी का उपयोग कर निर्मित और एक विक्रेता तटस्थ ढंग से स्केलेबिलिटी को एड्रेस करने और एक ही आवेदन के भीतर विषम हार्डवेयर के सह–अस्तित्व के लिए संरचित किए जा रहे हैं।

आधार कार्ड की उपयोगिता–

भारत सरकार बड़ी संख्या में सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करती है जो कि समाज के ग़रीब और सबसे कमजोर वर्गों की ओर केंद्रित होती हैं। आधार और इनके मंच सरकार के लिए उसके कल्याण तंत्र को कारगर बनाने के लिए और इस प्रकार पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

सरकारों एवं सेवा एजेंसियों हेतु :

अपने पूरे डेटा–बेस के विपरीत केवल वे जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषज्ञताओं की डी–डुप्लीकेटिंग के पश्चात यूआईडीएआई निवासियों के लिए आधार नम्बर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण विभिन्न योजनाओं के तहत् दोहराव के उन्मूलन में सक्षम है और इससे सरकारी खजाने में पर्याप्त बचत होने की उम्मीद है। यह सरकारों को लाभार्थियों के सटीक डेटा प्रदान करने, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रम को सक्षम करने और सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को समन्वय और विभिन्न योजनाओं के अनुकूलन करने की अनुमति प्रदान करता है। लाभार्थियों को सत्यापित करने और लाभों के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों को आधार सक्षम करता है। इन सभी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का परिणाम होता है–

1. लक्षित वितरण द्वारा लीकेज को रोकना– कल्याण कार्यक्रमों, जहाँ सेवा वितरण से पूर्व लाभार्थियों की पुष्टि करना आवश्यक है, को यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवा लाभ मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप लीकेज को रोकना और सेवाओं का वितरण लक्षित लाभार्थियों तक ही किया जाना सुनिश्चित होगा। उदाहरणस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को सब्सडाइज्ड योजना और मिट्टी के तेल का विवरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों की कार्यस्थल उपस्थिति आदि इसमें शामिल हैं।

2. दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार– आधार मंच से सेवा वितरण प्रणाली के बारे में पारदर्शी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप सरकार संवितरण प्रणाली में सुधार कर सकती हैं और दुर्लभ विकास कोष को और अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती है।

निवासियों के लिए :

आधार प्रणाली भारत के सभी निवासियों को देश भर में ऑनलाईन पहचान सत्यापन का एकमात्र स्रोत प्रदान करती है। निवासियों का एक बार नामांकन हो जाने पर वे आधार नम्बर का

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपयोग कर अपनी पहचान को सत्यापित और प्रमाणित कर सकते हैं। इसके द्वारा नागरिक प्रत्येक बार सेवाओं जैसे– बैंक खाता खोलने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने हेतु बार–बार पहचान समर्थन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की परेशानी से बच सकते हैं। पहचान का एक पोर्टेबल सबूत, जिसे कभी भी कहीं भी ऑनलाईन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, उपलब्ध करवा कर आधार प्रणाली ने ऐसे लाखों लोगों को, जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं, गतिशीलता प्रदान की है।

अन्य लाभ :

आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि राशनकार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और होती रहती हैं।

- पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
- जनधन खाता खोलने के लिये आधार ज़रूरी है।
- एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिये।
- ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए।
- परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी जेईई के लिये)।
- बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये।
- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए आधार ज़रूरी।
- प्रविडेंट फंड के लिए भी आधार ज़रूरी।
- डिजिटल लॉकर के लिए आधार ज़रूरी।
- सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
- छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
- सिम कार्ड खरीदने के लिये आधार ज़रूरी।
- आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आधार ज़रूरी कर दिया गया है।

6. शिक्षा का अधिकार–

महात्मा गाँधी के राजनीतिक गुरु एवं भारत के प्रसिद्ध उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने आज से लगभग सौ वर्ष पहले ही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की माँग की थी। इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें एक सदी का समय लगा है।

भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद–45 के अन्तगर्त 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं। इसी

क्रम में संसद द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता–पिता या अभिभावक का मूल कर्त्तव्य बनाने हेतु 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया गया।

इस संशोधन द्वारा संविधान के 'भाग–3' में नया अनुच्छेद 21–अ (Article 21-A), मूल अधिकार से सम्बन्धित तथा 'भाग–4क' के 'अनुच्छेद–51अ', मूल कर्त्तव्य से सम्बन्धित, में वाक्यांश (Clause) - K जोड़ा गया। इस संशोधन के फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" (Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009) अगस्त, 2009 में अधिनियमित कर दिया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया। अनुच्छेद 370 के तहत् जम्मू–कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्ति के बाद अब यह कानून जम्मू–कश्मीर में भी लागू होगा।

RTE अधिनियम के शीर्षक में "निःशुल्क एवं अनिवार्य" शब्द सम्मिलित है। 'निःशुल्क शिक्षा' का तात्पर्य है कि किसी बच्चे, जिसको उसके माता–पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय, जो प्रारम्भिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।

RTE अधिनियम की धारा–38 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु "राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2011" (Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules-2011) निर्मित कर 29 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर–अनुदानित तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से संबद्ध हो, में लागू होते हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सात अध्याय, 38 अनुच्छेद एवं एक अनुसूची है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

प्रमुख प्रावधान

अध्याय–I : प्रारम्भिक

I. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" है।

– यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

II. परिभाषाएँ–

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों–

"समुचित सरकार" (Appropriate Government) में–

केन्द्रीय सरकार के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के सम्बन्ध में,

केन्द्रीय सरकार : विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न– किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के सम्बन्ध में,

राज्य सरकार : विधानसभा वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर विद्यालय के सम्बन्ध में, उस संघ राज्य–क्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है।

– **"प्रति व्यक्ति फीस"** (Capitation fee) से, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय (Donation or Contribution or Payment) अभिप्रेत है।

– **"बालक"** (Child) से, छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।

– **"असुविधाग्रस्त समूह का बालक"** (Child belonging to disadvantaged group) से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है।

– **"दुर्बल वर्ग का बालक"** (Child belonging to weaker section) से, ऐसे माता–पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।

– **"प्रारम्भिक शिक्षा"** (Elementary education) से, पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।

– किसी बालक के सम्बन्ध में **"संरक्षक"** (Guardian) से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख–रेख और अभिरक्षा में वह बालक है और जिसमें कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक सम्मिलित है।

– **"स्थानीय प्राधिकारी"** (Local authority) से, कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और विद्यालय पर प्रशासनिक

नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है।

– **"राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग"** (National Commission for Protection of Child Rights) से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा–3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेय है।

– **"माता–पिता"** (Parent) से, किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता अथवा माता अभिप्रेत है।

– **"विद्यालय"** (School) से प्रारम्भिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है।

– **"जाँच प्रक्रिया"** (Screening procedure) से, किसी यादृच्छिक पद्धति (Random method) से भिन्न, दूसरों पर अधिमानता (Preference over another) में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।

– किसी विद्यालय के सम्बन्ध में **"विनिर्दिष्ट प्रवर्ग"** (Specified category) से, किसी सुभिन्न लक्षण वाला, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई अन्य विद्यालय अभिप्रेत है।

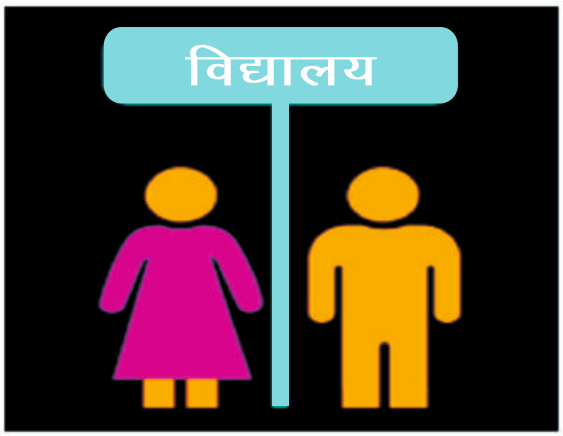

– **"राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग"** (State Commission for Protection of Child Rights) से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा–3 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।

अध्याय–II
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

III. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार–

– छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

IV. प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है,

V. अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार–

– जहाँ किसी विद्यालय में, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में, अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए, स्थानान्तरण कराने का अधिकार होगा।

– जहाँ किसी बालक के किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है।

अध्याय–III

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता–पिता के कर्तव्य

VI. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों का विद्यालय स्थापित करने का कर्त्तव्य–

– इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएं, जहाँ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

VII. वित्तीय एवं अन्य दायित्वों में हिस्सा बाँटना–

– केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु, निधियाँ (Funds) उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व (Concurrent responsibility) होगा।

केन्द्रीय सरकार–

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी।

नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता निर्माण के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

VIII. समुचित सरकार (Appropriate Government) के कर्तव्य–

समुचित सरकार–

– प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी।

IX. स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) के कर्त्तव्य–

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी–

– प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

– आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

– यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से रोका गया न हो।

– अपनी अधिकारिता (Jurisdiction) के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के, ऐसी रीति में, जो विहित (Prescribed) की जाए, अभिलेख (Record) रखेगा।

– अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और निगरानी (Ensure and monitor) करेगा।

– अवसंरचना (Infrastructure) जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद (Teaching staff) और शिक्षा के उपस्कर (Learning equipment) भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

– मानक और मानदंड (Standards and norms) के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

– प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम (Curriculum and course) को समय से विहित

(Prescribing) करना सुनिश्चित करेगा।

– शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा।

– प्रवासी कुटुंबों (Migrant families) के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा।

– अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय के कार्य की निगरानी (Monitor) करेगा।

– शैक्षणिक कैलेण्डर का विनिश्चय (Decide) करेगा।

X. माता–पिता और संरक्षक का कर्त्तव्य–

– प्रत्येक माता–पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में, प्रारम्भिक शिक्षा में अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य (Ward) का प्रवेश, करें या कराए।

XI. समुचित सरकार द्वारा विद्यालय–पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना–

– प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से ऊपर के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरम्भिक बाल्यकाल देखरेख (Early childhood care) और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से, समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय–पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

अध्याय–IV
विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

XII. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा–

– इस अधिनियम के प्रयोजनों लिए–

धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

– धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, पहली कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा एवं निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा।

– प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

XIII. प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस (Capitation fee) और अनुवीक्षण प्रक्रिया (Screening procedure) का न होना–

– कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय, कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक, किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया (Screening procedure) के अधीन नहीं रहेगा।

XIV. प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण–

– प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु, जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे दस्तावेज के आधार पर, जो विहित (Prescribed) किया जाए, अवधारित (Determined) की जाएगी।

– किसी बालक को, आयु के सबूत के न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।

XV. प्रवेश से इंकार नहीं किया जाना–

– किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की गई है, में किसी विद्यालय में प्रविष्ट किया जाएगा।

XVI. रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध–

– किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक, निष्कासित नहीं किया जाएगा।

XVII. बालक के शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध–

– किसी बालक को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

– जो कोई इन उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसा व्यक्ति लागू सेवा नियमों के अधीन, अनुशासनिक कार्यवाही भुगतेगा।

XVIII. मान्यता प्रमाणपत्र, अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना–

– समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित नहीं किया जाएगा या ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किए बिना, कार्य नहीं करेगा।

XIX. विद्यालय के मानदंड और मानक (Norms and standards)–

– किसी विद्यालय को, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों और मानकों को पूरा नहीं करता है।

XX. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति–

– केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में जोड़कर या उसका लोप करके, किसी मानदण्ड या मानक को संशोधित कर सकेगी।

XXI. विद्यालय प्रबन्ध समिति (School Management Committee : SMC)–

विद्यालय, माता–पिता, संरक्षकों, शीक्षकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा समिति का गठन होगा। समिति विद्यालय विकास योजना तैयार कर विद्यालय का सवार्गीण विकास करेंगी।

XXII. विद्यालय विकास योजना–

– प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

XXIII. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा के नियम एवं शर्तें–

– कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

– शिक्षक को संदेय (Payable) वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के नियम और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

XXIV. शिक्षकों के कर्त्तव्य और शिकायतों को दूर करना–

– शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा–

विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम संचालित व पूरा कराना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना और बालकों की प्रगति को समझना व समझाना। साथ ही शिकायतों को दूर करना।

XXV. छात्र–शिक्षक अनुपात–

– इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे, कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात, अनुसूची में विनिर्दिष्ट (Specified) किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

XXVI. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना–

– नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing authority) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद, कुल स्वीकृत पद संख्या के, दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

XXVII. गैर–शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध–

– किसी शिक्षक को दशकीय जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद् के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्त्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों (Non-educational purposes) के लिए अभिनियोजित (Deployed) नहीं किया जाएगा।

XXVIII. शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन, का निषेध (Prohibition)–

– कोई भी शिक्षक / शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा।

अध्याय–V :
प्रारम्भिक शिक्षा का
पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

XXIX. पाठ्यक्रम और मूल्याँकन प्रक्रिया–

– प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्याँकन प्रक्रिया, समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित (Laid down) की जाएगी।

XXX. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र–

– प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, एक प्रमाण–पत्र दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्याय–VI
बालकों के अधिकारों का संरक्षण

XXXI. बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना–

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा–

– अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करेगा और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

अध्युपायों (Measures) की सिफारिश करेगा।

– निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार सम्बन्धी परिवादों की जाँच करेगा।

– उपबन्धित आवश्यक उपाय करेगा।

XXXII. शिकायतों का निवारण (Redressal) करना–

– कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता (Jurisdiction) रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

– शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable opportunity) प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

XXXIII. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (National Advisory Council) का गठन–

– केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अधिक नहीं, उतने सदस्य होंगे, जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बालक विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

– केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए, परामर्श देना राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के कृत्य होंगे।

XXXIV. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन–

– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक (Not exceeding fifteen) उतने सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

– राज्य सरकार को, अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना, राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य होंगे।

अध्याय–VII
प्रकीर्ण (Miscellaneous)

XXXV. निदेश (Directions) जारी करने की शक्ति–

– केन्द्रीय सरकार, यथाशक्ति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगी।

XXXVI. अभियोजन (Prosecution) के लिए पूर्व मंजूरी–

समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित (Instituted) नहीं किया जाएगा।

XXXVII. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (Protection)–

– इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जान के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबन्ध समिति या किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

XXXVIII. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति–

– समुचित सरकार, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

अनुसूची (Schedule)

अनुसूची में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के अनुपात में शिक्षकों संख्या, विद्यालय भवन एवं उसके अन्तर्गत आने वाली सुविधाओं, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य–दिवसों, प्रति सप्ताह शिक्षण घण्टों की संख्या, अध्यापन शिक्षण उपस्कर (Teaching learning equipment), पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

समाचार पत्रों के माध्यम से अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार कर जानकारी प्रदान करना एवं जिला स्तर पर कार्यशालों का आयोजन करना, घर–घर सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना तथा अनामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि इस अधिनियम के अनन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 21–अ (Article 21-A) के तहत् बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम को एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का परिदृश्य बदलने की क्षमता रखता है। यह अधिनियम देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है, जिसकी क्रियान्विति सुनिश्चित कराने का दायित्व सरकार, शिक्षक एवं अभिभावक पर डाला गया है।

नरेन्द्र मोदी
(2014 ई. से वर्तमान तक)

26 मई, 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो वर्तमान में कार्यरत है।

सरकार की नीतियाँ–

योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग का गठन–

वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने सन् 1950 में स्थापित योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग की स्थापना केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी, 2015 को की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ–साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

स्वच्छ भारत मिशन

- 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गाँधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण कई बीमारियाँ होती हैं, जिनके उपचार पर सालाना हजारों रुपये खर्च होते हैं। गाँवों में स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को सालाना अनुदान की घोषणा भी केन्द्र ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। देश के सभी क्षेत्रों में खुले में शौच की परम्परा को समाप्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण इस मिशन की प्राथमिकता है। ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था को बेहतर करने का लक्ष्य भी इस मिशन के तहत् निर्धारित है।

नोट बंदी (विमुद्रीकरण)

जाली भारतीय करेंसी नोटों के जरिए आतंकी गतिविधियों के वित्तीयन तथा हथियारों, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी में ऐसी जाली करेंसी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के साथ–साथ देश में व्याप्त काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 500 रुपये एवं 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण नवम्बर, 2016 में किया तथा 8 नवम्बर, 2016 की मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे नोट विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रहे।

लोगों को अपने रद्द करेंसी नोटों को निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त बैंकों/डाकघरों से बदलने का समय दिया गया और उसके बाद एक निश्चित समयावधि में आरबीआई के निर्दिष्ट कार्यालयों से बदलवाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये।

नोटबंदी की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से होने वाले फ़ायदों में कालेधन से लेकर चरमपंथ और आतंकवाद पर अंकुश लगाने तक को शामिल किया।

विमुद्रीकरण के आरम्भिक समय आम जनता को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अपनी मुद्रा बदलवाने के लिए बैंकों की लम्बी कतारों में लगना पड़ा।

जी.एस.टी. (GST) या वस्तु एवं सेवा कर

अप्रत्यक्ष करारोपण के मामले में भारत में एक नए युग की शुभारम्भ 1 जुलाई, 2017 से उस समय हुई जब वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के करों के स्थान पर एकल गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स लागू हो गया। इससे पूरा देश एकल कर व्यवस्था के अधीन आ गया तथा अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न कर तथा करों की दरों का अन्तर समाप्त हो गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में होने वाले इस सबसे बड़े कर सुधार के लिए विगत एक दशक से भी अधिक समय से प्रयास चल रहे थे तथा इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही 2011 में लोकसभा में 115वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विभिन्न कठिनाइयों के चलते यह पारित न हो सका। बाद में मोदी सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक को 8 सितम्बर, 2016 को पारित करवाया तथा इसे 101वें संविधान संशोधन

अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। पहले सरकार इसे 1 अप्रैल, 2017 से लागू करना चाहती थी, किन्तु अन्ततः 1 जुलाई, 2017 से इस अधिनियम को लागू किया गया।

जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक ही कर दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं को कर से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। इससे अलग–अलग वस्तुओं के बाजार मूल्य पर अलग–अलग प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश वस्तुएं पहले से सस्ती होने का अनुमान जहां लगाया गया है, वहीं कुछ वस्तुएं महंगी भी हो गई।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना?

   (अ) 2002 ई. में (ब) 2005 ई. में

   (स) 2007 ई. में (द) 2009 ई. में

2. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू हुआ?

   (अ) 15 जून, 2005 (ब) 2 अक्टूबर, 2005

   (स) 12 अक्टूबर, 2005 (द) 14 नवम्बर, 2005

3. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है?

   (अ) 12 घंटे (ब) 24 घंटे

   (स) 48 घंटे (द) 72 घंटे

4. किस संविधान संशोधन के तहत् भारतीय संसद द्वारा 'शिक्षा के अधिकार' को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया?

   (अ) 52वाँ संविधान संशोधन–1985 (ब) 73वाँ संविधान संशोधन–1992

   (स) 86वाँ संविधान संशोधन–2002 (द) 97वाँ संविधान संशोधन–2011

5. 'शिक्षा का अधिकार' भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया?

   (अ) अनुच्छेद 19 'क' (ब) अनुच्छेद 21 'क'

   (स) अनुच्छेद 24 (द) अनुच्छेद 32

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. 'सूचना का अधिकार' से क्या अभिप्राय है?
2. सूचना आवेदक को आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है?
3. प्रथम अपील (First appeal) क्या है? स्पष्ट कीजिए।
4. RTE अधिनियम–2009 के तहत् 'बालक' तथा 'प्रारम्भिक शिक्षा' से क्या अभिप्राय है?
5. RTE अधिनियम–2009 के तहत् माता–पिता और संरक्षक के क्या कर्त्तव्य निर्धारित हैं?

6. RTE अधिनियम–2009 में गैर–शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने के बारे में क्या प्रावधान हैं?
7. वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. सूचना का अधिकार के तहत् 'अदेय सूचनाएँ' कौनसी हैं?
3. सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में 'अभिलेख संधारण' का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए।
4. आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
5. RTE अधिनियम–2009 के अन्तर्गत 'असुविधाग्रस्त समूह का बालक' तथा 'दुर्बल वर्ग का बालक' को परिभाषित कीजिए।
6. RTE अधिनियम–2009 के अन्तर्गत 'समुचित सरकार' के कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
7. विद्यालय प्रबन्ध समिति पर टिप्पणी कीजिए।
8. RTE अधिनियम–2009 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्याँकन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
9. स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी कीजिए।
10. क्या नोटबंदी अपने उद्देश्यों में सफल रही? टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की उपयोगिता का विवेचन करते हुए इसकी क्रियान्विति की चुनौतियों एवं उनके समाधान के बारे में बताइए।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 पर लेख लिखिए।
3. RTE अधिनियम–2009 के अन्तर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का विवेचन कीजिए।